

आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका तथा उनके लिए संस्थागत वित्त पोषण के महत्व

दीपक नारायण राऊत¹, डॉ. विभा गर्ग²

¹शोधार्थी, ²सह-प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

मोनाड विश्वविद्यालय, हापूड

सारांश: लघु उद्योग किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की उत्पादन संरचना, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लघु उद्योगों का महत्व केवल औद्योगिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में आय के अवसर उत्पन्न करने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, पारंपरिक कौशल के संरक्षण तथा व्यापक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी योगदान देते हैं। वर्तमान संदर्भ में लघु उद्योगों को व्यापक रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है। SIDBI के अनुसार भारत में 6.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME हैं और यह क्षेत्र GDP में लगभग एक-तिहाई योगदान तथा 28 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, पूंजी की कमी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, उच्च वित्तीय लागत, अपर्याप्त जमानत, वित्तीय दस्तावेजों की कमी, बाजार जोखिम तथा तकनीकी आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसी समस्याएँ लघु उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं।

मुख्य संकेतक: लघु उद्योग, आर्थिक विकास, संस्थागत वित्त, रोजगार, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि।

I. परिचय

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक विकास न केवल राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि करता है, बल्कि रोजगार, पूंजी निर्माण, तकनीकी परिवर्तन और बाजार के विस्तार को भी गति प्रदान करता है। इस संदर्भ में लघु उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इन उद्योगों की स्थापना अपेक्षाकृत कम पूंजी में की जा सकती है और स्थानीय श्रम तथा संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में लघु उद्योगों को समावेशी एवं विकेंद्रित औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र को विकास का प्रमुख इंजन माना जा रहा है। SIDBI की 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार MSME क्षेत्र GDP में लगभग एक-तिहाई योगदान करता है, 28 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में लगभग आधे हिस्से का योगदान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि छोटे उद्यमों का प्रभाव केवल स्थानीय आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार और निर्यात प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ा हुआ है।

लघु उद्योगों की विकास क्षमता का वास्तविक उपयोग तभी संभव है जब उन्हें पर्याप्त और समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। अधिकांश छोटे उद्यमों के पास बड़ी कंपनियों की तरह पर्याप्त आंतरिक पूंजी, संपार्श्विक सुरक्षा या पूंजी बाजार तक सीधी पहुँच नहीं होती। इसलिए बैंक ऋण, पुनर्वित्त सुविधा, ऋण गारंटी, माइक्रोफाइनेंस, डिजिटल ऋण और विकास वित्त जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ इनके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं।

II. लघु उद्योगों की अवधारणा

लघु उद्योग सामान्यतः ऐसे उद्यमों को संदर्भित करते हैं जिनका संचालन सीमित पूंजी, अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के उत्पादन, स्थानीय या क्षेत्रीय बाजार और सीमित श्रमबल के आधार पर होता है। वर्तमान भारतीय नीति व्यवस्था में पुराने “लघु उद्योग” वर्गीकरण की



तुलना में MSME वर्गीकरण अधिक व्यापक है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निवेश तथा कारोबार जैसे मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

लघु उद्यम विनिर्माण, सेवा, व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग, कृषि-आधारित उद्योग, डिजिटल सेवाओं तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनका विकेंद्रीकृत स्वरूप है। बड़े उद्योग प्रायः विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित रहते हैं, जबकि छोटे उद्योग ग्रामीण, अर्द्धशहरी और पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किए जा सकते हैं।

III. आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका

1. रोजगार सृजन

लघु उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रोजगार सृजन है। इन उद्योगों में श्रम की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है और कम पूंजी में भी रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इससे बेरोजगारी और अल्परोजगारी को कम करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योग कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके गैर-कृषि रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं।

2. उद्यमिता का विकास

लघु उद्योग सामान्य व्यक्तियों को उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करते हैं। अपेक्षाकृत कम प्रारंभिक निवेश के कारण नए उद्यमियों के लिए प्रवेश की बाधाएँ बड़े उद्योगों की तुलना में कम होती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक नेतृत्व, नवाचार और जोखिम लेने की क्षमता विकसित होती है।

3. क्षेत्रीय संतुलित विकास

बड़े उद्योगों का भौगोलिक वितरण अक्सर बुनियादी ढाँचे, बाजार और परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके विपरीत छोटे उद्योग स्थानीय संसाधनों और श्रम पर आधारित होकर पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित हो सकते हैं। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

4. स्थानीय संसाधनों का उपयोग

लघु उद्योग स्थानीय कच्चे माल, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय श्रम का उपयोग करते हैं। कृषि-आधारित उद्योगों में कृषि उत्पादों का स्थानीय प्रसंस्करण करके मूल्य संवर्धन किया जाता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में आय का संचरण बढ़ता है।

5. निर्यात में योगदान

कई छोटे उद्यम प्रत्यक्ष अथवा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से निर्यात गतिविधियों में योगदान करते हैं। वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्रों में छोटे उद्यम वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ रहे हैं। SIDBI के अनुसार MSME क्षेत्र भारत के निर्यात में लगभग आधा योगदान करता है।

6. औद्योगिक उत्पादन में योगदान

लघु उद्योग अनेक प्रकार के उपभोक्ता और मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन करते हैं। वे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए पुर्जे, घटक और सेवाएँ उपलब्ध कराकर औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हैं। इस प्रकार बड़े और छोटे उद्योगों के बीच परस्पर निर्भरता विकसित होती है।

7. नवाचार और तकनीकी परिवर्तन

नई तकनीकों को अपनाने में छोटे उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे बाजार की बदलती मांग के अनुसार उत्पादों और प्रक्रियाओं में नवाचार कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल ऋण जैसे साधनों ने छोटे उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।

संस्थागत वित्त पोषण का अर्थ

संस्थागत वित्त पोषण से आशय औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को प्रदान की जाने वाली ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता से है। इसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, SIDBI, NBFCs, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थाएँ शामिल हो सकती हैं।



SIDBI स्वयं बैंकों, NBFCs और MFIs जैसे प्राथमिक ऋण संस्थानों को MSME क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए संस्थागत वित्त उपलब्ध कराता है। इस व्यवस्था में SIDBI की पुनर्वित्त भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक विकास वित्त संस्था के संसाधन अनेक ऋणदाताओं के माध्यम से बड़ी संख्या में छोटे उद्यमों तक पहुँच सकते हैं।

IV. लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त का महत्व

1. प्रारंभिक पूंजी की उपलब्धता

किसी नए उद्यम की स्थापना के लिए मशीनरी, भवन, उपकरण, कच्चे माल और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। संस्थागत ऋण उद्यमी को इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।

2. कार्यशील पूंजी की पूर्ति

लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादन और बिक्री के बीच समय अंतराल हो सकता है। बैंक ऋण, केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और बिल/इनवॉइस आधारित वित्त जैसी सुविधाएँ नकदी प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करती हैं।

3. तकनीकी आधुनिकीकरण

पुरानी मशीनरी के कारण उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। संस्थागत वित्त के माध्यम से मशीनरी उन्नयन, स्वचालन, ऊर्जा दक्षता और डिजिटल तकनीक में निवेश किया जा सकता है।

4. व्यवसाय का विस्तार

वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर छोटे उद्यम नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं। इस प्रकार वित्त पोषण उद्यम की वृद्धि को सीधे प्रभावित करता है।

5. वित्तीय समावेशन

औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने पर छोटे उद्यम बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा, क्रेडिट इतिहास और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम हो सकती है।

V. प्रमुख संस्थागत वित्तीय स्रोत

क्रमांक	वित्तीय संस्था/स्रोत	प्रमुख वित्तीय सहायता	लघु उद्योगों के लिए महत्व
1	वाणिज्यिक बैंक	टर्म लोन, कार्यशील पूंजी, केश क्रेडिट	नियमित व्यवसाय वित्त
2	SIDBI	प्रत्यक्ष ऋण, पुनर्वित्त, विकास वित्त	MSME वित्त का विशेषीकृत समर्थन
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कृषि एवं ग्रामीण उद्यम ऋण	ग्रामीण उद्योगों तक पहुँच
4	सहकारी बैंक	ऋण एवं कार्यशील पूंजी	स्थानीय उद्यमों को वित्त
5	NBFC	व्यवसाय एवं उपकरण वित्त	वैकल्पिक ऋण स्रोत
6	माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ	छोटे ऋण	सूक्ष्म उद्यमों के लिए उपयोगी
7	लघु वित्त बैंक	छोटे व्यवसाय एवं उद्यम ऋण	वित्तीय समावेशन
8	ऋण गारंटी संस्थाएँ	ऋण पर गारंटी सहायता	जमानत की समस्या कम करना
9	डिजिटल/फिनटेक ऋणदाता	तेज एवं डेटा-आधारित ऋण	ऋण प्रक्रिया में समय की बचत
10	वेंचर/इक्विटी फंड	इक्विटी पूंजी	नवाचार एवं उच्च-विकास उद्यमों के लिए



VI. SIDBI की भूमिका

भारत में लघु एवं MSME क्षेत्र के लिए SIDBI की भूमिका विशेष महत्व रखती है। SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के अधिनियम के तहत हुई और इसे MSME क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था का दायित्व दिया गया।

FY2025 में SIDBI के कुल ऋण एवं अग्रिम ₹4,96,282 करोड़ रहे। इसी अवधि में बैंक का संस्थागत वित्त लगभग ₹4,55,570 करोड़ था, जो उसके कुल ऋण एवं अग्रिम का लगभग 92% था। बैंकों को पुनर्वित्त का बकाया ₹3,85,327 करोड़ तथा NBFCs को पुनर्वित्त ₹64,189 करोड़ था।

तालिका 2: SIDBI की वित्तीय गतिविधियों का संक्षिप्त चित्र

वित्तीय गतिविधि	FY2024	FY2025	वार्षिक परिवर्तन
प्रत्यक्ष ऋण	₹26,826 करोड़	₹37,781 करोड़	41%
बैंकों को पुनर्वित्त	₹3,63,101 करोड़	₹3,85,327 करोड़	6%
NBFCs को पुनर्वित्त	₹55,205 करोड़	₹64,189 करोड़	16%
MFI को पुनर्वित्त	₹8,771 करोड़	₹6,054 करोड़	-31%
क्लस्टर विकास निधि	₹2,111 करोड़	₹2,931 करोड़	39%
कुल	₹4,56,015 करोड़	₹4,96,282 करोड़	9%

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि संस्थागत वित्त का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष माध्यमों से छोटे उद्यमों तक पहुँचता है। SIDBI की पुनर्वित्त व्यवस्था प्राथमिक ऋण संस्थाओं की संसाधन क्षमता बढ़ाकर MSME ऋण के प्रवाह को व्यापक बनाती है।

संस्थागत वित्त पोषण की प्रमुख समस्याएँ

लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के बावजूद अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पहली समस्या ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड का अभाव है। कई सूक्ष्म उद्यम अनौपचारिक रूप से संचालित होते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली के लिए उनकी ऋण-योग्यता का मूल्यांकन कठिन हो जाता है।

दूसरी समस्या जमानत या संपार्श्विक की आवश्यकता है। ऐसे उद्यमियों के पास पर्याप्त संपत्ति न होने के कारण वे औपचारिक ऋण से वंचित रह सकते हैं। तीसरी समस्या वित्तीय साक्षरता की कमी है, जिसके कारण उद्यमी उपलब्ध योजनाओं, ब्याज दरों, पुनर्भुगतान शर्तों और सरकारी सहायता की जानकारी का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते।

SIDBI की 2024-25 रिपोर्ट में भी MSME क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुँच को एक प्रमुख चुनौती माना गया है और रिपोर्ट में अनुमानित ₹30 लाख करोड़ के क्रेडिट गैप का उल्लेख किया गया है। यह संकेत देता है कि केवल संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; ऋण की पहुँच, लागत, गति और उपयुक्तता में भी सुधार आवश्यक है।

डिजिटल वित्त और लघु उद्योग

डिजिटल तकनीक संस्थागत वित्त व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने की क्षमता रखती है। GST डेटा, बैंकिंग लेनदेन, डिजिटल भुगतान और अन्य वैकल्पिक डेटा स्रोतों के उपयोग से छोटे उद्यमों की ऋण-योग्यता का आकलन तेजी से किया जा सकता है।

SIDBI ने डिजिटल ऋण और पेपरलेस वित्तीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। FY2025 में उसके GST Sahay मंच के माध्यम से 15,000 से अधिक चालानों का वित्तपोषण हुआ और लगभग 1,750 ग्राहक लाभान्वित हुए। इसी प्रकार Udyam Assist Platform के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका 3: लघु उद्योगों के विकास में वित्त की भूमिका

वित्तीय आवश्यकता	वित्त पोषण का संभावित प्रभाव
प्रारंभिक पूंजी	नए उद्यम की स्थापना
कार्यशील पूंजी	उत्पादन एवं नकदी प्रवाह की निरंतरता



मशीनरी ऋण	तकनीकी आधुनिकीकरण
डिजिटल वित्त	तेज एवं पारदर्शी ऋण वितरण
निर्यात वित्त	वैश्विक बाजार तक पहुँच
क्लस्टर वित्त	साझा बुनियादी ढाँचे का विकास
ऋण गारंटी	संपार्श्विक की समस्या में कमी
इक्विटी वित्त	उच्च-विकास एवं नवाचार आधारित उद्यमों को समर्थन

सरकारी एवं संस्थागत प्रयास

भारत में लघु उद्योगों के वित्तीय विकास के लिए अनेक प्रकार की संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं। इनमें बैंक ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, SIDBI पुनर्वित्त, ऋण गारंटी, डिजिटल ऋण, सूक्ष्म-वित्त, स्टार्टअप/इक्विटी सहायता तथा क्लस्टर विकास शामिल हैं।

SIDBI के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्त, बैंकों और NBFCs को पुनर्वित्त, फंड ऑफ फंड्स, क्लस्टर विकास तथा उद्यमिता विकास जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इस प्रकार संस्थागत वित्त की भूमिका केवल “ऋण देने” तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमों की दीर्घकालिक क्षमता निर्माण से भी जुड़ी है।

आर्थिक विकास पर संस्थागत वित्त का प्रभाव

संस्थागत वित्त और आर्थिक विकास के बीच बहुआयामी संबंध है। जब लघु उद्योगों को पर्याप्त वित्त प्राप्त होता है तो वे उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। उत्पादन बढ़ने से रोजगार और आय बढ़ती है। आय में वृद्धि से उपभोग और बचत में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश का चक्र मजबूत होता है।

इसके अतिरिक्त, छोटे उद्यमों को वित्त मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं और क्षेत्रीय असमानताएँ कम हो सकती हैं। यदि वित्त का उपयोग तकनीकी आधुनिकीकरण और उत्पादक निवेश में किया जाता है तो उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होता है। इस प्रकार संस्थागत वित्त लघु उद्योगों के माध्यम से व्यापक आर्थिक विकास में गुणक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

नीतिगत सुझाव

1. लघु उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न उपाय उपयोगी हो सकते हैं:
2. छोटे उद्यमों के लिए सरल और कम दस्तावेज वाली ऋण प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए।
3. डिजिटल डेटा आधारित वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग का विस्तार किया जाना चाहिए।
4. बिना पर्याप्त संपार्श्विक वाले व्यवहार्य उद्यमों के लिए ऋण गारंटी व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
5. महिला, ग्रामीण तथा प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों तक वित्तीय पहुँच बढ़ाई जानी चाहिए।
6. बैंक अधिकारियों और उद्यमियों दोनों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम बढ़ाए जाने चाहिए।
7. कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक निवेश ऋण के बीच उचित संतुलन बनाया जाना चाहिए।
8. छोटे उद्योगों को ऋण के साथ तकनीकी उन्नयन, विपणन और कौशल विकास सहायता दी जानी चाहिए।
9. क्लस्टर आधारित वित्त पोषण और साझा बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
10. डिजिटल ऋण में पारदर्शिता, उचित ब्याज और जिम्मेदार ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
11. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के औपचारिकीकरण को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

लघु उद्योग भारत के आर्थिक विकास की आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रोजगार सृजन, उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, क्षेत्रीय संतुलन, निर्यात, उत्पादन और सामाजिक समावेशन में इनकी भूमिका व्यापक है। MSME क्षेत्र का GDP, रोजगार और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान इस क्षेत्र की रणनीतिक महत्ता को स्पष्ट करता है।



हालाँकि, लघु उद्योगों की विकास क्षमता पूँजी की उपलब्धता से गहराई से जुड़ी है। संस्थागत वित्त उन्हें केवल प्रारंभिक पूँजी या कार्यशील पूँजी ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि तकनीकी आधुनिकीकरण, विस्तार, डिजिटलीकरण और बाजार विस्तार के लिए भी आधार प्रदान करता है। SIDBI द्वारा बैंकों, NBFCs और अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता देना इस वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। FY2025 के आँकड़े संस्थागत वित्त के बड़े पैमाने को दर्शाते हैं, फिर भी अनुमानित क्रेडिट गैप यह संकेत देता है कि छोटे उद्यमों तक पर्याप्त और उपयुक्त वित्त पहुँचाने की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है।

अतः भविष्य की वित्तीय नीति का लक्ष्य केवल ऋण की मात्रा बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सुलभ, समयबद्ध, कम लागत वाला, डिजिटल, संपार्श्विक-संवेदनशील और उद्यम की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त उपलब्ध कराना होना चाहिए। यदि संस्थागत वित्त को कौशल विकास, तकनीकी सहायता, बाजार संपर्क, डिजिटल औपचारिकीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ जोड़ा जाए, तो लघु उद्योग भारत में अधिक समावेशी, रोजगारपरक और सतत आर्थिक विकास के शक्तिशाली साधन बन सकते हैं।

संदर्भ

1. बेक, टी., डेमिरगुल-कुंट, ए., और लेविन, आर. (2005). लघु एवं मध्यम उद्यम, विकास और गरीबी: विभिन्न देशों के साक्ष्य। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 10(3), 199–229।
2. बेक, टी., डेमिरगुल-कुंट, ए., और मैक्सिमोविक, वी. (2005). विकास में वित्तीय और कानूनी बाधाएँ: क्या फर्म का आकार मायने रखता है? द जर्नल ऑफ फाइनेंस, 60(1), 137–177।
3. बर्जर, ए. एन., और उडेल, जी. एफ. (2006). लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त के लिए एक अधिक संपूर्ण वैचारिक ढांचा। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 30(11), 2945–2966।
4. अय्यागरी, एम., बेक, टी., और डेमिरगुल-कुंट, ए. (2007). विश्व भर में लघु एवं मध्यम उद्यम। लघु व्यवसाय अर्थशास्त्र, 29(4), 415–434।
5. बेक, टी., डेमिरगुल-कुंट, ए., और मैक्सिमोविक, वी. (2008)। विश्व भर में वित्तपोषण के पैटर्न: क्या छोटी कंपनियाँ अलग हैं? जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, 89(3), 467–487।
6. बेक, टी., डेमिरगुल-कुंट, ए., लेवेन, एल., और लेविन, आर. (2008)। वित्त, फर्म का आकार और विकास। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, 89(3), 467–487।
7. अय्यागरी, एम., डेमिरगुल-कुंट, ए., और मैक्सिमोविक, वी. (2011)। विश्व भर में छोटी बनावत युवा कंपनियाँ: रोजगार, नौकरी सृजन और विकास में योगदान। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र, 5631, 1–42।
8. डे ला टोरे, ए., मार्टिनेज पेरिया, एम.एस., और शमुक्लर, एस.एल. (2010)। एसएमई के साथ बैंक की भागीदारी: संबंध ऋण देने से परे। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 34(9), 2280–2293।
9. फाटोकी, ओ., और ओडेयेमी, ए. (2010)। दक्षिण अफ्रीका में नए लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा व्यापार ऋण तक पहुंच के निर्धारक। अफ्रीकन जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 4(9), 1850–1857।
10. बेक, टी., पामुक, एच., और सेन, आर. (2013)। वित्तीय पहुंच, फर्म विकास और रोजगार: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से साक्ष्य। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक्स, 41(3), 1–20।
11. फाटोकी, ओ. (2014)। दक्षिण अफ्रीका में नए लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियाँ। मेडिटरेनियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 5(20), 1–7।
12. अर्दिक, ओ. पी., माइलेंको, एन., और साल्टाने, वी. (2011)। लघु एवं मध्यम उद्यम: एक नए डेटा सेट के साथ एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र, 5538, 1–32।
13. डास्कलाकिस, एन., जार्विस, आर., और शिजस, ई. (2013)। सूक्ष्म और लघु फर्मों के लिए वित्तपोषण प्रथाएं और प्राथमिकताएं। जर्नल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, 20(1), 80–101।
14. अबोर, जे., और क्वार्टी, पी. (2010)। घाना और दक्षिण अफ्रीका में एसएमई विकास के मुद्दे। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 39, 218–228।



15. स्टोरे, डी. जे. (2004)। लघु फर्मों के बीच प्रबंधन प्रशिक्षण और फर्म प्रदर्शन के बीच संबंध का अन्वेषण। इंटरनेशनल स्मॉल बिजनेस जर्नल, 22(2), 203–220।
16. उल्लाह, एस., और टेलर, पी. (2007)। विकासशील देशों में एसएमई के लिए ऋण और वित्त। जर्नल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, 14(3), 1–15।
17. बेक, टी., और डेमिरगुच-कुंट, ए. (2006)। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम: विकास में बाधा के रूप में वित्त तक पहुँच। जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस, 30(11), 2931–2943.
18. डेमिरगुच-कुंट, ए., बेक, टी., और होनोहन, पी. (2008). क्या सबके लिए वित्त? पहुँच बढ़ाने में नीतियाँ और कमियाँ। विश्व बैंक।
19. राजन, आर. जी., और ज़िंगलेस, एल. (1998). वित्तीय निर्भरता और विकास। अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 88(3), 559–586.
20. लेविन, आर. (2005). वित्त और विकास: सिद्धांत और प्रमाण। हैंडबुक ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ, 1(1), 865–934.

